## न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 14/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/16)**

बचन कौर पुत्री श्री माया उर्फ सरजीत कौर पत्नी श्री सरेण सिह जाति बावरी निवासी रामगढ/भीडरकला, तहसील जीरा, जिला फिरोजपुर (पंजाब)

**अपीलान्ट**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
2. तारा सिह
3. मुखत्यार सिह
4. जगतार सिह

   पिसरान स्व. श्री साधूराम बावरी निवासीगण खाराखेडा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
5. गुरप्रीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह पुत्र साधूराम जाति बावरी निवासी खाराखेडा, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

असल रेस्पोडेन्ट

6. मलकीत सिह पुत्र माया उर्फ सरजीत कौर पत्नी श्री सरेण सिह जाति बावरी निवासी रामगढ/भीडरकला, तहसील जीरा, जिला फिरोजपुर (पंजाब)

**रेस्पोडेंट्स**

**उपस्थितः**
1. श्री करण सिह तंवर – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार पारीक –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3
3. श्री गगन मोदी –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4, 5
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 15.07.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ के प्रकरण संख्या 25/2018 निर्णय दिनांक 14.02.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि गुरप्रीत सिह पुत्र मुखत्यारसिह व बचन कौर पुत्री माया ने तहसीलदार टिब्बी में प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि माता माया उर्फ सुरजीत कौर के नाम से चक 6 के.एच.आर खाता नं.135/114 में कुल तादादी 6.325 है. नहरी मय गै.मु. रकबा मे 1/5 हिस्सा की वसीयत दिनांक 20.02.2017 को प्रार्थीयान के पक्ष मे तस्दीक करवाई थी। माता का देहान्त दिनांक 02.07.2017 को हो चुका है। अतः मुताबिक वसीयतनामा के राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

देने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार टिब्बी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.02.2022 द्वारा वसीयत दिनांक 20.02.2017 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलान्ट ने उक्त आदेश के विरूद्व अपील पेश कर आदेश दिनांक 14.02.2022 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित रहें।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार टिब्बी में प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि माता माया उर्फ सुरजीत कौर के नाम से चक 6 के.एच.आर खाता नं.135/114 में कुल तादादी 6.325 है. नहरी मय गै.मु. रकबा मे 1/5 हिस्सा की वसीयत दिनांक 20.02.2017 को प्रार्थीयान के पक्ष मे तस्दीक करवाई थी। माता का देहान्त दिनांक 02.07.2017 को हो चुका है। अतः मुताबिक वसीयतनामा के राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। तारा सिह, मुखत्यार सिह, जगतार सिह द्वारा उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत कर कथित किया कि माया उर्फ सुरजीत कौर द्वारा दिनांक 31.05.2017 को उक्त भूमि की अपने नाम 1/5 हिस्सा की वसीयत तारासिह वगैरह के पक्ष में की है। दोनो पक्षो द्वारा अपने वसीयत के समर्थन में गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 14.02.2022 के जरिये अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात दिनांक 20.02.2017 व 31.05.2017 में अंकित तथ्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना विधि के सिद्वान्तो के विरूद्व आदेश पारित कर दिया। क्योकि, किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित वसीयत यदि अपने मूल वारिसान को छोड़कर अन्य व्यक्तियो के पक्ष मे निष्पादित की जाती है तो उसके संबध मे समुचित साक्ष्य केवल मात्र संक्षम न्यायालय द्वारा ही पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायायल को इस संबध में जब दो विवादित वसीयत पर निर्णय करना हो तो क्षेत्राधिकार नही है। विवादित वसीयतो के पक्ष मे निर्णय लेने का अधिकार सिविल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय राजस्व न्यायालय द्वारा ही पारित किया जा सकता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.02.2022 निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटी एक्ट इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि माया पुत्री साधुराम द्वारा मौखिक रूप से विवादित भूमि मे अपना 1/5 हिस्सा का त्याग कर दिया गया है। यह वाद पत्र अभी विचाराधीन है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिथ्य तथ्य अंकित किये गये और उस आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.02.2022 को निरस्त फरमाया जावें। अपीलान्ट अभिभाषक अपने कथन के समर्थन मे 2022 (2) CIVIL COURT CASES 209 , 2022 (1) CIVIL COURT CASES 391 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि इस प्रकरण मे दो वसीयतो का मामला है। मलकीतसिह द्वारा दिनांक 04.04.2022 को सिविल कोर्ट मे वसीयत निरस्ती बाबत दावा पेश कर रखा है तथा सिविल कोर्ट मे स्टे आदेश जारी हो चुका है, दावा अभितक जैरकार है। प्रथम वसीयत दिनांक 20.05.2017 की है जिसमें बचनकौर और गुरप्रीत कौर के नाम है। द्वितीय वसीयत दिनांक 31.05.2017 को हुई। वसीयत को प्रमाणित करना जरूरी होता है। प्रथम वसीयत के गवाह ने शपथ पत्र देकर स्पष्ट मना कर दिया। वर्ष 2017 का दावा 53 आर टी ए का विभाजन दावास था, जिसमे दिनांक 11.02.2022 को स्टे खत्म हो गया। साथ ही इसी आदेश के विरूद्व एडीएम कोर्ट में अपील पेश हो रखी है जिसमे स्टे भी जारी हुआ है। सिविल कोर्ट मे स्टे होने पर अपीलान्ट की अपील दाखिल दफ्तर की जावे अथवा खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2000 पृष्ठ 557, RRD 2008 पृष्ठ 200, RAJASTHAN TENANCY ACT पृष्ठ 113, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि हस्तगत प्रकरण में दो वसीयत निष्पादित की गई है। एक वसीयत दिनांक 20.02.2017 को माया उर्फ सुरजीतकौर द्वारा अपने पुत्र गुरप्रीतसिह पुत्र मुखत्यार सिह व पुत्री बचनकौर के पक्ष में निष्पादित है। यह वसीयत नोटेरी द्वारा सत्यापित है, इस पर वसीयत कर्ता व वसीयत ग्रहिता के फोटो लगे हुए है तथा वसीयत कर्ता द्वारा इसे अपनी अंतिम वसीयत बताया है। द्वितीय वसीयत गुरूमुखी भाषा में सादे कागज पर लिखी गई है जो नोटेरी सत्यापित नही है। सादे कागज पर कुछ भी लिखना या तारीख का अंकन करना संदेह उत्पन्न करता है। वेसे भी एक से अधिक वसीयत होने की दशा में वसीयत ग्रहिता को सक्षम सिविल न्यायालय में वसीयत की वैधता को सिद्व करवाया जाना चाहिए । तहसीलदार द्वारा भी प्रकरण के समस्त बिन्दुओ का विवेचन विश्लेषण कर विधिवत जांच पश्चात वसीयत संबधी प्रकरणो का निस्तारण किया जाना चाहिए था। हस्तगत प्रकरण मे उक्तानुसार कार्यवाही का अभाव पाया गया है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को कायम रखे जाने योग्य नही पाया गया है। उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि उक्तानुसार विवेचन के मध्यनजर प्रकरण का पुनः नए सिरे से विधिवत निस्तारण करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर